न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सेशन न्यायाधीश) मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आप. विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 63/2026
CIS NO 63/2026

विष्णु नायक उर्फ गोमसिंह पुत्र श्री भीकाराम, आयु 32 वर्ष, निवासी डाबरियाणी, पुलिस थाना मेड़ता रोड़, जिला नागौर, हाल राम अस्पताल के पास, रैणीगेट, मेड़ता सिटी, पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

---प्रार्थी/अभियुक्त

::विरूद्ध::

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता ...

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2025 थाना पादूकला, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट, मूल आपराधिक सेशन प्रकरण सं. 89/2025, राज. राज्य बनाम शाहरूख खान।

उपस्थित-
1-श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2-श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक,राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 07.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु नायक उर्फ गोमसिंह की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना पादूकलां पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2025 में पेश किया गया है जिस पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में गलत रूप से लिप्त बताकर गिरफ्तार किया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया, वह निर्दोष है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है, तथाकथित बरामदगी से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के सह अभियुक्त शाहरूख खान को माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अत:

प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस ने इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/29 एन डी पी एस एक्ट का अपराध का आरोप प्रमाणित माना है जिसमें प्रकरण के सह अभियुक्त शाहरूख खान के कब्जे से 11.55 ग्राम एम डी एम ए मादक पदार्थ बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं परमिट के बरामद हुआ, जिसे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अभियुक्त शाहरूख खान को उपलब्ध करवाए जाने का अभ्यारोप है। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त शाहरूख खान जिससे उक्त मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद हुआ है, उसे माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के S.B. Criminal Misc. Bail App. No. 12774/2025, Dated 04.12.2025 के द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि – ''Having heard an considered the rival submissions, facts and cicumstances of the case as well as perused the material available on record; considering the fact that the narcotic contraband recovered in this case is below commercial quantity and the petitioner is in custody since 25.07.2025, wihtout expressing any opinion on merits/demerits of the case, this Court is inclined to enlarge the petitioner on bail.''

5. इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त शाहरूख से बरामद मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद होना बताया था, जिसकी वाणिज्यिक मात्रा 10 ग्राम है परन्तु मूल पत्रावली पर उपलब्ध एफएसएल रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त बरामद मादक पदार्थ एमडीएमए नहीं होकर Mephedrone है, जिसकी वाणिज्यिक मात्रा 50 ग्राम है। इस प्रकार उक्त बरामदशुदा मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के सह अभियुक्तगण शाहरूख खान को माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस

स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थिति हेतु 01,00,000/– रूपये का स्वयं का बंध पत्र एवं 50,000/–, 50,000/–रूपये की दो जमानतें प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष न्यायालय की संतुष्टि की पेश कर तस्दीक करवा दें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश)
मेड़ता।

7. आदेश आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश)
मेड़ता।